भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1017
दिनांक 08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगति

1017. श्री दयानिधि मारन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत से अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मंत्रालय के समक्ष कौन-कौन सी विशेष चुनौतियां पेश आ रही है;

(ग) सरकार द्वारा कितने सूचित और प्रमाणित कनेक्शनों की राज्य-वार लेखा परीक्षा की गई है और मंत्रालय रिपोर्ट किए गए और प्रमाणित कनेक्शनों के बीच किस प्रकार से विसंगतियों का समाधान कर रहा है;

(घ) स्वतंत्र सत्यापन तंत्र का ब्यौरा क्या है और मंत्रालय का विचार किस प्रकार इन सत्यापन तंत्रों से निष्कर्षों का समाधान करने और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का है;

(ङ) हर घर जल मिशन की शुरूआत से अब तक राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) मंत्रालय सरकारी प्रमाण-पत्रों और जमीनी हकीकत के बीच विसंगतियों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की थी। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 04.02.2024 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 11.01 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.02.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.27 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 14.24 करोड़ (73.93%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में राज्यों द्वारा सामना किए जा रहे कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नानुसार है;

i) जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी,
ii) भूजल में भू-जनित संदूषकों की उपस्थिति,
iii) असमान भौगोलिक भू-भाग, बिखरी हुई ग्रामीण बसावटें,
iv) गांव में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का प्रबंधन और संचालन में स्थानीय ग्राम समुदायों की क्षमता की कमी।

इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में राज्य के समतुल्य हिस्से को जारी करने में विलंब ने भी मिशन की प्रगति को चुनौती दी है।

(ग): जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, गांव में सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नल कनेक्शनों की व्यवस्था करने के पश्चात्, योजना क्रियान्वित करने वाला विभाग, ग्राम पंचायत को कार्य संपूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है तथा उस गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। तत्पश्चात् ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य संपूर्णता रिपोर्ट को तेज स्वर में पढ़कर स्वयं को 'हर घर जल' गांव के रूप में प्रमाणित करते हुए औपचारिक रूप से संकल्प पारित करती है। क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की प्रति तथा ग्राम सभा को कैप्चर करने वाले लघु विडियो को जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर प्रमाणित के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, इन दोनों प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण रिपोर्ट किए गए हर घर जल और प्रमाणित किए गए गांवों में अंतर विद्यमान रहता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30.01.2024 तक, 'हर घर जल' के रूप में रिपोर्ट किए गए लगभग 2.02 लाख गांवों में से 1.01 लाख से अधिक गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का **ब्यौरा अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): जेजेएम के तहत, गुणवत्तापरक सामग्री और गुणवत्तायुक्त निर्माण का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे भुगतान करने से पहले कार्य के कार्यान्वयन और निरीक्षण की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों को नियुक्त करें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के तहत प्रदान किए गए घरेलू नल जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का वार्षिक मूल्यांकन भी करता है। कार्यक्षमता मूल्यांकन 2021-22 के दौरान, यह पाया गया था कि 86% परिवारों में काम करने वाले नल कनेक्शन थे। इनमें से 85% को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% को उनकी पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीम के लिए जलापूर्ति की अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था।

पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की स्थिति प्रदान करता है।

इसके अलावा, नल जल कनेक्शन के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन, लक्षित वितरण और विशिष्ट परिणामों की निगरानी के लिए परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ने, वैधानिक प्रावधानों के अधीन, जिसमें बनाई गई संपत्ति की जियो-टैगिंग, भुगतान करने से पहले तीसरे पक्ष के निरीक्षण, सेंसर आधारित आईओटी समाधान आदि के माध्यम से गांवों में जल आपूर्ति की माप और निगरानी शामिल हैं, की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूपीय प्रणाली विकसित की है।

(ङ)**:** वर्ष 2019-20 से जल जीवन मिशन के तहत आवंटित केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च): जल राज्य का विषय होने के कारण मिशन के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न निगरानी तंत्रों के माध्यम से सूचित आंकड़ों और जमीनी वास्तविकताओं में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हों, को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है ताकि तत्काल अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

*****

अनुबंध-I

08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हर घर जल सूचित और प्रमाणित का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	हर घर जल सूचित	हर घर जल प्रमाणित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	265	265
2	आंध्र प्रदेश	4,533	3,550
3	अरुणाचल प्रदेश	5,064	4,575
4	असम	4,571	2,018
5	बिहार	32,190	1
6	छत्तीसगढ़	2,110	550
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	96	96
8	गोवा	373	373
9	गुजरात	17,871	15,821
10	हरियाणा	6,502	6,502
11	हिमाचल प्रदेश	17,816	10,752
12	जम्मू एवं कश्मीर	839	303
13	झारखंड	2,106	1,362
14	कर्नाटक	5,282	2,852
15	केरल	103	60
16	लद्दाख	150	31
17	लक्षद्वीप	3	2
18	मध्य प्रदेश	12,086	5,761
19	महाराष्ट्र	16,456	9,919
20	मणिपुर	611	283
21	मेघालय	1,975	1,015
22	मिजोरम	411	296
23	नागालैंड	705	401
24	ओडिशा	11,380	5,247
25	पुदुचेरी	114	114
26	पंजाब	11,845	11,845
27	राजस्थान	3,360	1,519
28	सिक्किम	103	39
29	तमिलनाडु	5,368	4,028
30	तेलंगाना	9,458	0
31	त्रिपुरा	45	35
32	उत्तर प्रदेश	19,794	9,141
33	उत्तराखंड	7,459	2,831
34	पश्चिम बंगाल	2,754	1,077
	कुल	**2,03,798**	**1,02,664**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

08.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित केन्द्रीय निधि

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	29.64
2	आंध्र प्रदेश	14,334.69
3	अरुणाचल प्रदेश	3,574.39
4	असम	24,373.91
5	बिहार	14,001.62
6	छत्तीसगढ़	9,272.10
7	गोवा	126.74
8	गुजरात	11,257.01
9	हरियाणा	3,770.30
10	हिमाचल प्रदेश	3,462.26
11	जम्मू एवं कश्मीर	16,401.39
12	झारखंड	10,868.09
13	कर्नाटक	24,819.48
14	केरल	6,006.49
15	लद्दाख	3,981.58
16	लक्षद्वीप	76.62
17	मध्य प्रदेश	22,907.40
18	महाराष्ट्र	39,038.43
19	मणिपुर	1,303.27
20	मेघालय	5,254.34
21	मिजोरम	1,182.43
22	नागालैंड	1,466.53
23	ओडिशा	10,217.47
24	पुदुचेरी	70.58
25	पंजाब	5,129.12
26	राजस्थान	30,352.78
27	सिक्किम	942.28
28	तमिलनाडु	12,617.63
29	तेलंगाना	3,981.98
30	त्रिपुरा	3,318.71
31	उत्तर प्रदेश	48,194.22
32	उत्तराखंड	8,279.10
33	पश्चिम बंगाल	19,595.02

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (डीएनएच और डीडी) ने कोई भी निधि आहरित नहीं की